कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर
(आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

भंवरकुआ, ए.बी. रोड़, इन्दौर (म.प्र.) फोन–0731–2446806 Email-heghscind@mp.gov.in, principalhsc@rediffmail.com

दिनांक :– 15.07.2025

स्नातक स्तर–सी.एल.सी चरण के संबंध में आवश्यक सूचना–आवेदकों हेतु।

महाविद्यालय के समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि मेजर विषय के विभागों में स्नातक स्तर पर दिनांक 16 से 30 जुलाई 2025 तक सी.एल.सी. चरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया रहेगी। प्रति दिवस (अवकाश के दिवस को छोड़कर) प्रातः 11.00 से अपरान्ह 03.00 बजे तक विद्यार्थी को उपस्थित होकर सी.एल.सी. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं ऑनलाईन आवेदन की सत्यापित फार्म की प्रति जमा कराएगें, जिसकी प्राप्ति विभाग से प्राप्त करेंगें और सायं 05.00 बजे के पश्चात् अपने लॉगइन से या विभाग के बाहर चस्पा सूची के आधार पर ई–प्रवेश पर ऑनलाईन 24 घण्टे में शुल्क भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, इसके पश्चात् आवंटन निरस्त हो जायेगा। नवीन ऑनलाईन पंजीकृत विद्यार्थियों के फार्म को विभाग के सत्यापन अधिकारी के पास जाकर प्रातः 11.00 से दोपहर 03.00 बजे तक दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा।

प्राचार्य

कायालय आयुक्त उच्च शिक्षा सचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल
// आदेश //

दिनांक 14-07-2025

क्र.1/316620/2025/1/0104/2025-ACAD-DHE उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1/261370/2025/सी.सी./2025/38 भोपाल, दिनांक 14-05-2025 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के अतिरिक्त सी.एल.सी चरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. अतिरिक्त सीएलसी चरण 16 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जायेगा ।
2. 16 जुलाई 2025 से प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय वार रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा ।
3. रिक्त सीटों पर विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकेगे ।
4. 16 जुलाई 2025 से प्रतिदिन विद्यार्थी शाम तीन बजे तक पंजीयन/विकल्प चयन कर सकेगा तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा चार बजे तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।
5. शाम पांच बजे मेरिट जारी की जाएगी । मेरिट जारी होने के 24 घंटे में प्रवेश शुल्क जमा करना होगा ।
6. प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा ।
7. निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा न करने पर पुनः रीचॉइस करना होगी ।
8. यह प्रक्रिया **31** जुलाई 2025 तक की जाएगी ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Tulsi Ram Dahayat
Date: 14-07-2025
18:38:14

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.